अप्रेंटिस प्रशिक्षण (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)

अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में वर्ष 2011 से प्रारम्भ किया गया है। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा और 10+2 आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के Fresh Pass Out के लिए यह प्रशिक्षण एक वर्ष की अवधि का On the Job Practical Training है।

यह प्रशिक्षण शिक्षु मण्डल मुंबई भारत शासन के माध्यम से प्रायोजित होता हैं।

विभाग में 55 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु निम्नानुसार कोटा निर्धारित है :–

1. सिविल इंजीनियर (डिग्री/डिप्लोमा) – 20
2. कम्प्यूटर साईंस/आई.टी.इंजीनियर (डिग्री/डिप्लोमा) – 18
3. मैकनिकल इंजीनियर (डिग्री/डिप्लोमा) – 05
4. मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट (डिप्लोमा) – 07
5. 10+2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्टेनो – 05

महत्वपूर्ण जानकारियां :–

- अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण विभागीय कार्यवाहियों से अवगत होने का अवसर प्रदाय करना है। यह प्रशिक्षण नौकरी में रखने के लिए नहीं है।
- प्रशिक्षुओं के चयन हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र बुलाए जाते है। आवेदनकर्ता के निर्धारित शैक्षणिक आर्हता परीक्षा की अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंको के आधार पर प्रशिक्षु चयन किया जाता है। शासन के नियमानुसार ST/SC हेतु आरक्षण भी लागू रहेगा।
- निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण करने के दिनांक से प्रशिक्षण ज्वांइन करने की तिथि के बीच की अवधि 03 वर्ष से अधिक अंतराल होने की स्थिति में आवेदन पत्र मान्य नही किया जाता है।
- मेरिट सूची के आधार पर काउन्सिलिंग में दस्तावेज की जॉच की जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने आवेदक की सुविधानुसार निकटतम जिला मुख्यालय कार्यालय में संलग्न किया जाता है।
- प्रशिक्षु एवं नियोक्ता के साथ प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तों के साथ कान्ट्रेक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप किया जाना होता है।
- प्रशिक्षुओं को कार्यालय में प्रतिदिन/सीखे गये कार्यों की दैनंदनी संधारित करना होता है।
- दैनंदनी के आधार पर संबंधित कार्यालय के प्रशिक्षण नियंत्रणकर्ता द्वारा द्विमासिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान देय मासिक छात्रवृत्ति : डिग्रीधारी को 4984/– रूपये, डिप्लोमाधारी को 3542/– रूपये, एवं 10+2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम के स्टेनो पास को 2758/– रूपये एवं नियमानुसार अवकाश देय है।
- प्रशिक्षु को सुरक्षित नौकरी प्राप्त होने, उच्च शिक्षा हेतु चयन होने अथवा लंबे समय तक अस्वस्थ रहने की स्थिति में प्रशिक्षण बीच में छोड़ने की अनुमति, त्याग पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगी।
- बिना कारण के प्रशिक्षण से लगातार अनुपस्थित रहने अथवा प्रशिक्षण छोड़ने पर तीन माह की छात्रवृत्ति राशि का वसूली की जावेगी।
- प्रशिक्षण उपरांत शिक्षु मण्डल मुंबई कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है। **प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षु को नौकरी देने की कोई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बाध्यता** नहीं रहेगी।
- अप्रेंटिसएक्ट 1961 की मुख्य जानकारी संलग्न है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइड www. apprentice act 1961 देखा जा सकता है।

Approved
28/3/17

अधीक्षण अभियंता एवं
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नया रायपुर